

# दैनिक सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...


www.sadbhawnapaati.com

Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com

इंदौर शनिवार ● 30 सितंबर, 2023

वर्ष-11 अंक-153

मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8



अधर्म के प्रतीक रावण का एक भाई था कुम्भकर्ण जो दिखने में बहुत ही ज्यादा बलशाली और भीमकाय था और आम लोगों से कई गुना ज्यादा भोजन करता था जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी किया गया है। यह छः महीने तक सोता रहता फिर एक दिन के लिए उठता और फिर छः महीने के लिए सो जाता था। हमारे मध्य प्रदेश रेरा की स्थिति भी ऐसी ही है, रेरा कुम्भकर्ण की भाँति सो रहा है एक दिन के लिए कभी उठता है फिर सो जाता है, जमीनी स्तर पर रेरा पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है।

## कुम्भकर्णीय रेरा: परियोजना, एजेंट, प्रमोटर कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं खुलेआम बेच रहे प्लाट, रेरा की नींद नहीं खुल रही

आइए इस कॉलोनी  
खेत में आपका  
स्वागत है...  
क्योंकि प्रशासन निदा में है



कैसे फंसाते हैं भोले भाले लोगों को

यह खेल बड़े प्रमोटर (कालोनाइजर) सीधा नहीं खेलते इनके बहुत सारे बड़े एजेंट होते हैं इन एजेंटों के नीचे भी कई छोटे एजेंट काम करते हैं, एक बार इन्हायरी करने के बाद ये छोटे फर्जी एजेंट टेलीकॉलिंग करके ग्राहकों को साइट विजिट के लिए बड़ी गाड़ियों से ले जाते हैं और रजिस्टर्ड कालोनी की आड़ में अपकर्मिंग प्रोजेक्ट की प्री बुकिंग कर खेत की जमीन को अच्छे रिटर्न की गारंटी देकर निवेश करवाया जाता है। प्रोटोट, बिल्ड और रियल एस्टेट एजेंट ग्राहकों के साथ जो एपीमेंट कर रहे हैं उसमें प्लाट का सोना नहीं बिल्कुल ग्राहकों से उधार लेने का विक्र होता है ताकि विषम पारिस्थिति में पैसे बापस करना पड़े या कोई विवाद हो तो प्लाट बिक्री का कहीं उल्लेख न हो। यिससे उन्होंना का पक्ष मजबूत रहता है और वे खरीदारों पर हावी रहते हैं। यह ग्रंति ही नहीं, बल्कि एक आपाधिक साजिश, कॉर्फेर पॉड और धोखाधड़ी है।

गौरतलब है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट एजेंटों में से अधिकतर रेरा में पंजीकृत नहीं हैं, नाममात्र के जो पंजीकृत हैं वो भी इंडिविजुअल रजिस्टर हैं वहाँ इनके अधीन कायं कर रहे हजारों छोटे एजेंट अपेंजीकृत होकर निभता से काम कर रहे हैं।

## दैनिक सद्भावना पाती अखबार की पड़ताल में सामने आया एक और बड़ा फर्जीवाड़ा

परियोजना, एजेंट, प्रमोटर  
कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं  
खुलेआम बेच रहे प्लाट

इंदौर शहर के बाहर की ओर दिशा में चले जाइ प्रॉपर्टी एजेंट के बड़े बड़े साइन बोर्ड आपको लुभाते नज़र आ जाएँ, इनके न प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं और न ही इसे बेचने वाले प्रॉपर्टी एजेंट, इस कड़ी में जब हमने पड़ताल की तो एक नए उभरते फर्जी ग्रुप की जानकारी मिली इसका नाम है इम्पीरियल एकर्स, जिसकी कम्पनी है IMPERIAL ACRES PRIVATE LIMITED. इसके डायरेक्टर का नाम सर्वे करने पर संतोष मीणा और राधा मीणा का सामने आया। इस कम्पनी के एजेंटों द्वारा खुले आम फेसबुक प्रोफाइल पर निर्भक्ता से प्री लॉन्चिंग प्लाट का प्रचार किया जा रहा है।

विज्ञापन पर दिए नंबर 9111911896 पर जब बात की गयी तो किसी साहिल से बात नहीं.....



फोन पर हुई बातचीत में ही साहिल के द्वारा प्रोजेक्ट की जानकारी हमारे व्हाट्सप्प नंबर पर शेयर कर दी जिसमें रेट इत्यादि का उल्लेख है। मुलाकात होने पर साहिल ने खुल कर सारी बातें अंडरकवर एजेंट को बता दी।

फेसबुक प्रोफाइल पर अंकित नंबर 9981642050 पर बात करने पर किसी मेडम से



बात में उहाँने बताया कि यह प्रोजेक्ट हम बेच रहे हैं आप आ जाइये हम सहृदय विजिट करवा देते हैं।

कम्पनी द्वारा फेसबुक अलाउड नहीं है।

एक अन्य फेसबुक अकाउंट इंदौर प्रॉपर्टी सोलुशन के नाम से प्रचार कर रहे एजेंट लखन खीची से बात करने पर उहाँने बताया कि अभी तो यहाँ फसल खड़ी हुई है तो एंड सोपी की अनुमति भी चुनाव बाट आएगी, बुकिंग चल रही है कृष्ण ही प्लाट शेष है, 2 दिन बाद नए रेट लागू हो जायेंगे।

इस कम्पनी की वेबसाइट

<http://www.imperialacresindore.in/> पर दिए गए

नंबर 08048779146, 9827275777 पर, पहला बंद बता रहा था दूसरे नंबर पर डायरेक्टर खीर्मोर्व ने भी स्वीकार किया कि हमारा पहला प्रोजेक्ट इम्पीरियल पैलेस पुरा सेल हो चुका है अब इम्पीरियल श्री श्याम सिटी की प्री बुकिंग चल रही है।

यदि कोई डेलीपर RERA अधिनियम के तहत किसी भी कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो 3 साल तक की कैद या परियोजना की अनुमति लागत का 10% पेनल्टी देय होगी, यदि रियल एस्टेट एजेंट वैब RERA पंजीकरण के बिना अपने प्रोजेक्ट पर बिक्री करते हुए पाए जाते हैं, तो उहाँने प्रति दिन 10,000 रुपये या प्रोजेक्ट की लागत का 5% तक का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशनुसार कालोनाइजर एजेंट के तहत कृष्ण भूमि पर घोटांटिंग करना प्रतिवाचित है, इंदौर के पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने डायरियों, प्री बुकिंग के नाम पर प्लाट बेचने वाले कई एजेंटों, प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर जेल भेजा था। पदार्थीन कलेक्टर इनैया राजा दी, द्वारा इस मामले में संज्ञान लेकर क्या कार्यवाही की जाएगी यह देखना होगा ?

रेरा कानून में अनेकों प्रावधान हैं जिनमें मुख्य दो बातें हैं

यदि कोई डेलीपर RERA अधिनियम के तहत किसी भी कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो 3 साल तक की कैद या परियोजना की अनुमति लागत का 10% पेनल्टी देय होगी, यदि रियल एस्टेट एजेंट वैब RERA पंजीकरण के बिना अपने प्रोजेक्ट पर बिक्री करते हुए पाए जाते हैं, तो उहाँने प्रति दिन 10,000 रुपये या प्रोजेक्ट की लागत का 5% तक का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशनुसार कालोनाइजर एजेंट के तहत कृष्ण भूमि पर घोटांटिंग करना प्रतिवाचित है, इंदौर के पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने डायरियों, प्री बुकिंग के नाम पर प्लाट बेचने वाले कई एजेंटों, प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर जेल भेजा था। पदार्थीन कलेक्टर इनैया राजा दी, द्वारा इस मामले में संज्ञान लेकर क्या कार्यवाही की जाएगी यह देखना होगा ?

### वया कहना है इनका

इस बारे में डायरेक्टर संतोष मीणा से 8889259888 नंबर पर बात करने पर उहाँने साक्षात् कहा है कि हम आपको बताएं, आप जाने वाले कौन होते हैं। आप आपकी कार्यवाही करें हमें जो जवाब देना होगा हम प्रश्नान्वयन को दे देंगे, इतना कह कर फोन काट दिया।

इस बारे में रेरा के संकेटरी नीरज तुड़े से बात करने पर उहाँने बात करने से मना कर दिया।

इस बारे में इंदौर कलेक्टर इनैया राजा दी, से फोन पर बात करने की कोशिश की गई परन्तु संपर्क नहीं हो पाया।

## इम्पीरियल श्री श्याम सिटी

डॉ. देवेन्द्र मालवीय  
9827622204



दैनिक सद्भावना पाती अखबार ने पिछले अंकों में रेरा की संबंधित विभागों से सेटिंग कर अपना काला कारोबार भरपूर एपीमेंट पर प्लॉट बेच रहे हैं और किस तरह अपनीकृत एजेंटों की संवेद्या दिन बढ़ती जा रही है जिस परे रेरा कोई प्रश्नान्वयन नहीं ले रहा है। इन खबरों को प्रकाशित कर रेरा तक पहुंचाई गई तथा जिसकी अनुमति, न रेरा की अनुमति होती है।

इंदौर शहर की आवादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, शहर में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं लोग अपने आशयाने के लिए जमीन की खाक छान रहे हैं। जमीन दालाल और फर्जी प्रमोटर (कॉलोनाइजर) इसका जमकर फायदा उठ रहे हैं। शहर से सटे संवेद्या परोक्षकटों के बाढ़ आई हुई है। इस तरह कारोबार में प्रश्नान्वयन की भी पूरी मदद मिल रही है। प्रश्नान्वयन की अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इस ओर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

जानकारी के अनुसार ये इम्पीरियल एकर्स ग्रुप तीन प्रोजेक्ट लांच कर रहा है।

1. इम्पीरियल पैलेस 2. इम्पीरियल गोल्ड सिटी 3. इम्पीरियल श्री श्याम सिटी

जब रेरा की वेबसाइट पर सर्च किया गया तो इन तीनों नाम से कोई भी योजना पंजीकृत नहीं पाई गई, कंपनी के डायरेक्टर का नाम रेरा वेबसाइट पर प्रमोटर की लिस्ट में नहीं मिला बल्कि पंजीकृत एजेंट में इनका नाम मिला जिसका प्री बुकिंग भी पिछले 2022 में हुआ है। इनके स











## 29 सितंबर से पितृ पक्ष, जाने श्राद्ध करने का सही समय

29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में पितृ-आराधना हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। शास्त्र का वचन है- श्रद्धया इदम् श्राद्म अर्थात्

पितरों के निमित्त श्राद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध है।

श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन करने का विधान है किंतु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते जो कि दोषपूर्ण है वर्योंकि शास्त्रानुसार पितरों वाक्यमिच्छन्न भावमिच्छन्न देवताः अर्थात् देवता भाव से प्रसाद होते हैं और पितृगण शुद्ध व उचित विधि से किए गए श्राद्धकर्म हैं।

श्राद्ध पक्ष में तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन करने से पितृ तृष्ण होते हैं। श्राद्ध पक्ष में नियम मार्कंडेय पुराणान्तर्गत पितृ सूत्रित करने से पितृ प्रसाद होकर अपना आशीर्वद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष कुतुप काल में तर्पण करना चाहिए।

तर्पण सोलह कालों तिल, दूध, पुष्प, कृश, तुलसी, नर्मदा/गंगा जल मिश्रित जल से करें। तर्पण सोलह पितृ-तीर्थ (तर्जनी व अंगूष्ठे के मध्य का स्थान) से करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्राद्धकर्म अनिवार्य है, वह करना ही चाहिए लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जीवित अवस्था में अपने माता-पिता की सेवा करना।

जिसने जीवित अवस्था में ही अपने माता-पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया हो उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। शास्त्र का वचन है- वित्त शाद्यन् न समाचरेत् अर्थात् श्राद्ध में कजूरी नहीं करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर श्राद्ध कर्म करना चाहिए।

### इस समय करें श्राद्ध तो मिलेगा अक्षय पुण्य

श्राद्ध पक्ष के सोलह दिनों में पितृगणों की तृष्ण के लिए तर्पण, दान व ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराया जाता है। वैसे तो वर्षभर श्राद्ध व तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध के भी कई प्रकार होते हैं जैसे नान्दी श्राद्ध, पांच श्राद्ध एवं मासिक श्राद्ध आदि किंतु श्राद्ध पक्ष के साथ ही दिनों में तिथि अनुसार श्राद्ध करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है एवं पितृगण संतुष्ट होकर अपने आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

### कुतुप-काल में ही करें श्राद्ध कर्म

श्राद्ध पक्ष के सोलह दिनों में सोलह कुतुप बोला में ही श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। दिन का आठवां मूर्तुत कुतुप काल कहलाता है। दिन के अपराह्न 11.36 मिनिट से 12.24 मिनिट तक का समय श्राद्ध के लिए विशेष शुभ होता है। इस समय को कुतुप काल कहते हैं। इसी समय पितृगणों के निमित्त धूप डालकर, तर्पण, दान व ब्राह्मण भोजन करना चाहिए।

### गजच्छाया योग में श्राद्ध का अनंत गुना फल

शास्त्रों में गजच्छाया योग में श्राद्ध कर्म करने से अनंत गुना फल बताया गया है। गजच्छाया योग कई वर्षों बाद बनता है इसमें किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है। गजच्छाया योग तब बनता है जब सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो और त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र होता है। यदि यह योग महात्मा (श्राद्ध पक्ष) के दिनों में बन जाए तो अत्यन्त शुभ होता है।



# श्राद्ध क्यों करना चाहिए?

भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्धपक्ष में यदि आप पितरों के निमित्त, तर्पण, पिंडदान, पूजा आदि अनुष्ठान कर रहे हों तो शास्त्रों के अनुसार कुतुप काल मूर्तु में यह कर्म करें।

### श्राद्ध कर्म है श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक

श्राद्ध कर्म करना एक सभ्य मनुष्य की निशानी है। पश्चु और पक्षियों में जो सोलहनशील होते हैं वे भी अपने परिवार के मृतकों के लिए निषिद्ध खाना पर एकत्रित होकर संपर्कना व्यक्त करते हैं। जबकि उक्त सभी तरह की आत्माओं की मृकि का द्वारा खुल जाता है। तब खरीदी पर पितृगण रहता है। जैसे पश्चुओं का भूजन गुण और मनुष्यों का भूजन अत्र कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भूजन अत्र का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात् गध, रस और उमा। देवता और पितर अंग तथा रस तत्व से तृष्ण होते हैं।



### पितृपक्ष में कुतुप मुहूर्त में करते हैं श्राद्ध, यह क्या है और क्या है?

भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्धपक्ष में यदि आप पितरों के निमित्त, तर्पण, पिंडदान, पूजा आदि अनुष्ठान की पूर्णिमा से अमावस्या तक रहता है। जिस तिथि में जिस पूर्णिमा से अमावस्या तक रहता है।

पूर्णिमा ही तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान न हो, उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है।

पितृप्रार्थना : हे प्रभु मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं, मैं अपने पितरों की मुकित के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मर्दी श्रद्धा भवित्व से संतुष्ट होती है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृगण से मृति मिलती है।

जो पूर्णिमारी के दिन श्राद्धपक्ष करने के लिए विशेष व्रद्धि, पुष्टि, स्मरणाशक्ति, धारणाशक्ति, पूर्ण-प्रौढ़ता एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्याप्त व्रद्धि भोजन होता है।

प्रतिपादा धन-सम्पत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करनेवाले की प्राप्ति का वर्षावास होता है।

अधिजीत मुहूर्त - अधिजीत मुहूर्त हर दिन के हिसाब से अंतग्रह अलग होता है। किसी दिन यह नहीं भी रहता है।

यह कुतुप काल के अंतग्रह दिन का समय होता है। वैसे कुतुप वेळा दिन का आठवां मुहूर्त होता है। पाप का शमन करने के कारण इसे कुतुप कहा गया है।

अधिजीत मुहूर्त - अधिजीत मुहूर्त हर दिन के हिसाब से अंतग्रह अलग होता है।

जो सातमी की श्राद्धादि करता है उसको महान यज्ञ के पूर्णयान प्राप्त होते हैं।

जो आठमी की श्राद्धादि करता है उसको महान यज्ञ के पूर्णयान प्राप्त होते हैं।

नवमी तिथि को श्राद्ध करने वाला यज्ञ अपराह्न 12.41 तक।

रोहिणी काल - रोहिणी काल अर्थात् रोहिणी नक्षत्र काल के दौरान श्राद्ध किया जा सकता है।

रोहिणी मुहूर्त - दोपहर 12.41 से 01.29 तक।

मध्याह्नकाल - यदि कुतुप, अधिजीत या रोहिणी का लगात न हो तो मध्याह्नकाल या अपराह्न काल में श्राद्ध करना ऐसे रहता है। यानी श्राद्ध का समय तब होता है जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ते लगते हैं।

अपाह्न मुहूर्त - दोपहर 01.29 से 03.53 तक।

आशयक है। श्राद्ध भोज करने वाला ब्राह्मण श्रीत्रिय होना चाहिए जो यात्री का नित्य जप करता है।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन करते समय मौन रहकर भोजन करना चाहिए, अवश्यकतानुसार केवल हाथ का संकेत करना चाहिए।

श्राद्ध भोज करते समय ब्राह्मण को भोजन की निदा या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण से भोजन के विषय में अर्थात् 'केसा है' यह प्रश्न नहीं करना चाहिए।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को पुर्वुपोजन अर्थात् एक ही दिन दो या तीन स्थानों पर श्राद्ध भोज नहीं करना होता है।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोज वाले देवता दोनों दिन नहीं करना चाहिए।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोज करने वाले देवता की वेदाना विशेषता है।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोज करने वाले देवता की वेदाना विशेषता है।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोज करने वाले देवता की वेदाना विशेषता है।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोज करने वाले देवता की वेदाना विशेषता है।

श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोज करने वाले देवता की वेदाना विशेषता है।

श्राद्ध भोज करन



